न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 201/2017 दायरा दिनांक : 26.07.2017

उनवान

1— भंवरलाल पुत्र लक्ष्छीराम, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— रामचरण आयु 55 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2— रामनिवास आयु 48 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3— रामकल्याण आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/4— भूलीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/5— गीता बाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/6— गोपाली बाई आयु 75 वर्ष बेवा श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— बद्रीबाई आयु 60 वर्ष बेवा श्री हीरालाल जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

3— विद्याबाई आयु 36 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

4— रमेश आयु 34 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5— कालू पुत्र हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

5/1— अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5/2— मनीषा आयु 12 वर्ष पुत्री श्री कालू नाबालिग जरिये वली माता खुद अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5/3— स्नेहा आयु 10 वर्ष पुत्री श्री कालू नाबालिग जरिये वली माता खुद अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5/4— मयंक आयु 6 वर्ष पुत्र श्री कालू नाबालिग जरिये वली माता खुद अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

6— मुकेश आयु 28 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

7— कमली आयु 30 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

8— धनराज आयु 26 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

9— विनोद आयु 24 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

10— अनीता आयु 21 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— किशोर पुत्र दुलीचन्द, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1— पुष्पा बाई उम्र 70 वर्ष बेवा किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2— देवकिशन पुत्र किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/2/1– कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2/2– प्रियंका उम्र 15 वर्ष पुत्री देवकिशन नाबालिंग जरिये वली माता खुद कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/ /3– पिंकी उम्र 12 वर्ष पुत्री देवकिशन नाबालिंग जरिये वली माता खुद कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2/4– प्रीति उम्र 10 वर्ष पुत्री देवकिशन नाबालिंग जरिये वली माता खुद कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3– बाबूलाल पुत्र किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/3/1– मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/2– सोनू उम्र 13 वर्ष पुत्र बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/3– रीना उम्र 10 वर्ष पुत्री बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/4– पूजा उम्र 8 वर्ष पुत्री बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/5– जितेन्द्र उम्र 6 वर्ष पुत्र बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/4– गायत्री उम्र 40 वर्ष पुत्री किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/5– रमेश उम्र 35 वर्ष पुत्र किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/6— कृष्णा उम्र 26 वर्ष पुत्री किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— बद्री बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री दुलीचन्द पत्नी बृजमोहन, जाति काछी, निवासी ग्राम भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— सुन्दरबाई पुत्री दुलीचन्द पत्नी रामकरण, जाति काछी, निवासी बरनाहाली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान :—

3/1— सुगना बाई उम्र 22 वर्ष पुत्री सुन्दरबाई व रामकरण, जाति काछी, निवासी बरनाहाली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

3/2— रामसिंया उम्र 20 वर्ष पुत्री सुन्दरबाई व रामकरण, जाति काछी, निवासी बरनाहाली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 202/2017 दायरा दिनांक : 26.07.2017

उनवान

1— भंवरलाल पुत्र लक्ष्छीराम, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— रामचरण आयु 55 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2— रामनिवास आयु 48 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3— रामकल्याण आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/4— भूलीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/5— गीता बाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/6— गोपाली बाई आयु 75 वर्ष बेवा श्री भंवरलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2— बद्रीबाई आयु 60 वर्ष बेवा श्री हीरालाल जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

3— विद्याबाई आयु 36 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

4— रमेश आयु 34 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5— कालू पुत्र हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

5/1— अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5/2— मनीषा आयु 12 वर्ष पुत्री श्री कालू नाबालिग जरिये वली माता खुद अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5/3— स्नेहा आयु 10 वर्ष पुत्री श्री कालू नाबालिग जरिये वली माता खुद अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

5/4— मयंक आयु 6 वर्ष पुत्र श्री कालू नाबालिग जरिये वली माता खुद अनोखी बाई आयु 28 वर्ष बेवा श्री कालू, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

6— मुकेश आयु 28 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

7— कमली आयु 30 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

8— धनराज आयु 26 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

9— विनोद आयु 24 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

10– अनीता आयु 21 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– किशोर पुत्र दुलीचन्द, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1– पुष्पा बाई उम्र 70 वर्ष बेवा किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2– देवकिशन पुत्र किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/2/1– कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2/2– प्रियंका उम्र 15 वर्ष पुत्री देवकिशन नाबालिंग जरिये वली माता खुद कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/ /3– पिंकी उम्र 12 वर्ष पुत्री देवकिशन नाबालिंग जरिये वली माता खुद कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/2/4– प्रीति उम्र 10 वर्ष पुत्री देवकिशन नाबालिंग जरिये वली माता खुद कांती बाई उम्र 40 वर्ष बेवा देवकिशन, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3– बाबूलाल पुत्र किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/3/1– मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/2– सोनू उम्र 13 वर्ष पुत्र बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/3– रीना उम्र 10 वर्ष पुत्री बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/4– पूजा उम्र 8 वर्ष पुत्री बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/3/5– जितेन्द्र उम्र 6 वर्ष पुत्र बाबूलाल नाबालिंग जरियेवली माता खुद मन्जू बाई उम्र 40 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/4– गायत्री उम्र 40 वर्ष पुत्री किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/5– रमेश उम्र 35 वर्ष पुत्र किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

1/6– कृष्णा उम्र 26 वर्ष पुत्री किशोर, जाति काछी, निवासी सुसावन, तहसील बारां, जिला बारां

2– बद्री बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री दुलीचन्द पत्नी बृजमोहन, जाति काछी, निवासी ग्राम भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– सुन्दरबाई पुत्री दुलीचन्द पत्नी रामकरण, जाति काछी, निवासी बरनाहाली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान :–

3/1– सुगना बाई उम्र 22 वर्ष पुत्री सुन्दरबाई व रामकरण, जाति काछी, निवासी बरनाहाली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

3/2– रामसिंया उम्र 20 वर्ष पुत्री सुन्दरबाई व रामकरण, जाति काछी, निवासी बरनाहाली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.01.2019

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 149/2001 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2002 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2004 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण ने एक वाद भंवरलाल बनाम केसरा पेश किया । जिसमें विवादित आराजी ग्राम सुसावन, तहसील बारां के खसरा नम्बर 540, 585, 586, 587, 591, 593, 619 कुल 7 किता की 3.34 हेक्टर में अपीलांट वादी भंवर लाल का 1/3 हिस्सा, अपीलांट वादी कम 2 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है तथा धारा 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम की शक्तियों का न्यायहित में प्रयोग करते हुए ग्राम सुसावन की अन्य आराजी पूर्व खाता संख्या 42 रकबा 61 बीघा 17 बिस्वा व वर्तमान खाता संख्या 22 किता 20 रकबा 9.53 हेक्टर में वादी कम 1 का 1/3 हिस्सा वादी कम 2 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है । वादी कम 1 द्वारा मोहन को मौखिक वसीयत करना बताया गया है, जो सिद्ध नहीं किया गया है । फलस्वरूप मोहन के हिस्से का सभी को समान रूप से खातेदार घोषित किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त पारित निर्णय तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन नहीं करके जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से काबिले निस्तनीय है । यह वास्तविकता है कि लक्ष्छीराम के चार पुत्र थे ।

दुलीचन्द, हीरालाल, मोहनलाल व भंवरलाल । मोहनलाल जीवनपर्यन्त अविवाहित रहा उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे तथा मोहन लाल अपने भाई भंवरलाल के साथ रहता था । मोहन लाल के हिस्से 1/4 पर भंवरलाल ही काश्त करता था तथा वृद्धाअवस्था में भंवर लाल ने ही उसकी देखभाल की है जिससे प्रसन्न होकर मोहन लाल ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी भंवर लाल के नाम रजिस्ट्री कर दी थी । इस प्रकार सम्पूर्ण विवादित आराजी में भंवर लाल का 1/2 हिस्सा निहित है परन्तु दुलीचन्द द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया गया । चूंकि दुलीचन्द का सम्पूर्ण आराजी में 1/4 हिस्सा था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है । लेकिन वादी क्रम 1 भंवर लाल के पक्ष में मोहनलाल द्वारा अपने हिस्से की वसीयत करवायी गयी है उसे अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं माना है । वादी एवं प्रतिवादी द्वारा वाद एवं जवाबदावे में कोई रिलीफ ग्राम सुसावन की खातेदारी की आराजी की नहीं चाही गयी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी का भी बंटवारा एवं अधिकारों की घोषणा की गई है, जो काबिले खारिज है । अतः निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2002 निरस्तनीय है । उपरोक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट कम 1 भंवर लाल रख रहा था परन्तु वह 2002 में अत्यधिक बीमार होने से उसका देहान्त हो गया इस कारण भंवरलाल व हीरालाल के वारिसान को कोई जानकारी नहीं थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2017 को जब दुलीचन्द के वारिसान द्वारा विवादित आराजी को आवासीय उपयोग हेतु बेचान करने की बातचीत की गई जब अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त की गई अतः धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.06.2017 को हुई । जानकारी की

तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 30.08.2002 को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दावा डिक्री हुआ परन्तु डिक्री का क्रियान्वयन वादी अपीलांट द्वारा नहीं करवाया गया । दुलीचन्द द्वारा गलत रूप से मोहन लाल का हिस्सा स्वयं के नाम दर्ज करवाया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी दोनों मर चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वर्ष 2002 का है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मृतक मोहन का अपीलांट भंवर लाल के पक्ष में वसीयत के बारे में मौखिक रूप से कथन किया गया है इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में सलंग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2002 को जारी कर दी गई थी जिसमें सभी वारिसानों को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री

दिनांक 21.01.2004 को पारित की गई है जिसमें भी वादी द्वारा उपरोक्त आराजी में मोहन लाल के हिस्से बाबत आक्षेप किया गया है एवं मोहन लाल के हिस्से को स्वयं के नाम दर्ज करने के लिए कथन किया गया है, परन्तु ततसमय भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मोहन लाल द्वारा भंवर लाल के पक्ष में कोई वसीयत किये जाने की साक्ष्य नहीं होने से समस्त वारिसानों को उपरोक्त विवादित आराजी का समान रूप से खातेदार घोषित किया गया है । उपरोक्त निर्णय वर्ष 2004 का है । ऐसा कोई अन्य दस्तावेज अथवा तथ्य इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं, जिससे कि उपरोक्त निर्णय को अपास्त किया जाये । केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मोहन लाल की आराजी को भंवर लाल के नाम दर्ज करने का कथन अपील अपीलांट का सिद्ध नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जो कि पूर्ण तनकीयात एवं साक्ष्यों को कायम कर समस्त तनकीयात का तनकीवार विश्लेषण करते हुए पारित किया गया है, वह सही है एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 201/2017 एवं 202/2017 अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 30.08.2002 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा